पावरग्रिड
POWERGRID

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)

श्री रामुदगार सिंह, पारसरमा परसोनी, बारेल के नजदीक, सुपौल-852110 का ऑन लाईन माध्यम (Appeal Registration No. PGCIL/A/E/23/0025 dtd 08.06.2023) से प्रेषित प्रथम अपील के संबंध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय।

निर्णय : दिनांक: 03.07.2023 / 596

अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील ऑन लाईन माध्यम से (**Appeal Registration No. PGCIL/A/E/23/0025 dtd 08.06.2023**) प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना को प्रेषित की गई थी।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना के समक्ष अपील की सुनवाई हेतु दिनांक 03.07.2023, 11:00 बजे उपस्थित होने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पू. क्षे.-1, पटना तथा अपीलकर्ता को इस कार्यालय का पत्र संदर्भ सं0: FAA/Hearing/510 dated 19.06.2023 के माध्यम से डाक (स्पीड पोस्ट) द्वारा सूचित किया गया था।

अपीलकर्ता एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समय पर उपस्थित हुए और अपना-अपना पक्ष रखे।

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 ने स्पष्ट किया कि अपीलकर्ता को उनके वृक्षों की क्षतिपूर्ति का मुआवजा नियमानुसार दिया जा चूका है जिसकी सूचना पत्र संदर्भ संख्या पावरग्रिड/पू. क्षे.-1 क्षे. मु./आर. टी. आई-351/2023-24/352 दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से दे दी गई हैं।

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1 के द्वारा दी गई वाँछित जानकारी/स्पष्टीकरण जो उनके पत्र संदर्भ संख्या पावरग्रिड/पू. क्षे.-1 क्षे. मु./आर. टी. आई-351/2023-24/352 दिनांक 05.06.2023 के माध्यम से दी गई है, संबंधित कागजातों का अवलोकन किया गया ।

दोनो पक्षों को सूनने एवं दस्तावेजों का अवलोकन करने के पश्चात केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, पटना को अपीलकर्ता को जारी वृक्ष क्षतिपूर्ति की नोटिस एवं संबंधित सरकारी कार्यालय द्वारा निर्गत वृक्षों की मुल्य सूची अपीलकर्ता को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाता हैं।

इस अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता हैं।

अगर अपीलकर्ता उपरोक्त जानकारी/स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है तो Chief Information Commissioner, Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gangnath Marg, Munirka, New Delhi के समक्ष सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत द्वितीय अपील कर सकते हैं।

07.07.23

(उत्पल शर्मा)
मुख्य महाप्रबंधक (प्रभारी) सह
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, पूर्वी क्षेत्र-1

वितरण:-

01: अपीलकर्ता (श्री रामुदगार सिंह, पारसरमा परसोनी, बारेल के नजदीक, सुपौल-852110)
02: केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पावरग्रिड, पूर्वी क्षेत्र-1, पटना